डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत, अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

(87)

रजि. क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर 1987—आश्विन 10, शके 1909

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर, 1987

क्र.एफ.-1-140-86-ए-1-बीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1987 है.

(2) ये नियम 1 जनवरी, 1974 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(f) **"Regular employees under the State Government".**—means Government servant who are in regular employment holding permanent or temporary posts under the State Government distinct from establishment or posts paid from contingencies.

(g) **"Service"** means the Madhya Pradesh School Education Department contingency paid employee service;

(h) **"Schedule"** means the schedule appended to these rules .

3. **Scope and application.**—Save as expressly provided in these rules, the Madhya Pradesh (General conditions of Service) rules, 1961 shall applicable to the members of this service.

4. **"Constitution of the Service".**—The service shall consist of the following persons:—

(1) Persons who on the 1st January 1974.—

(a) were working as contingency paid employees and had completed at least one year's service as such

(b) were holding posts specified in the schedule; and

(c) have not attained the age of supernuation prescribed for regular employees under the State Government

(2) Persons recruited to the service—

(a) after 1st January, 1973 but before the commencement of these Rules,

(b) after the commencement of these rules according to the provision of these rules on completion of fi years.

5. **Classification number of posts etc.**—Classification and the number of posts included in the service a the appointing authority therefor shall be in accordance with the provisions contained in the schedule.

6. **Categorization.**—(1) Contingency paid employees for the purposes of these rules shall be divided into following categories, namely:—

(i) Permanent; and

(ii) Temporary.

(2) The employee—

(a) who had completed not less than ten years of service on the 1st January 1974;

(b) appointed prior to the said date but had not completed ten years of service on the 1st January 19

(c) appointed after the said date shall be in case of (a) above on the 1st January 1974 and case of (b) and on completion of years of continuous service, be eligible for status of permanent contingency p employee.

7. **Recruitment and promotion.**—(1) The establishment under the appointing authority specified in Schedule shall constitute unit for all purposes including recruitment, seniority and promoting.

(2) (a) Application of contingency paid employees shall be made by one or more of the following metho may be determined by the appointing authority for time to time namely;—

(i) Direct recruitment:

(ii) Promotion: and

(iii) Transfer.

(b) There shall be constituted in every district a committee consisting of—

(i) A Gazetted Officer nominated by the appointing authority—Chairman.

(ii) District Tribal Welfare Officer or Disrtict Organizer Tribal Welfare as the case may be—Mer

	(3)	4	(5)
.. ..	55	बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान	प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय, प्राचार्य बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान
ल	11	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	संबंधित प्राचार्य.
अटेन्डेंट (कृषि) ..	55	शिक्षा महाविद्यालय, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान	प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय, प्राचार्य, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान.
लीनर	15	कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा एवं संचालनालय लोक शिक्षण	संयुक्त संचालक शिक्षा एवं आयुक्त लोक शिक्षण.
बढ़ई	55	शिक्षा महाविद्यालय, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान	प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय, प्राचार्य बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान.
वायरमेन (इलेक्ट्रिशियन) ..	10	शिक्षा महाविद्यालय	प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय.
कृषि श्रमिक	55	शिक्षा महाविद्यालय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान	प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय, प्राचार्य बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डा. रामायण प्रसाद, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 1987

एफ. 1-140-86-ए-1-बीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 40-86-ए-1-बीस, दिनांक 1 सितम्बर 1987, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डा. रामायण प्रसाद, उपसचिव.

Bhopal, the 1st September 1987

F-1-140-86-A-1-XX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the Governor of Madhya Pradesh here by makes the following rules for regulating the recruitment and s of service of Contingency paid employees, of School Education Department, namely;—

Sort Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh School Education ent Contingency paid Emp.oyees (Recruitment and Conditions of services) Rules, 1987.

These rules shall be deemed to have come into force with effect form the 1st January, 1974.

Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;—

"Appointing authority" means the authority as specified in column (5) of the schedule .

"Contingency paid employees" means a person employed for full time in an office/institution or establishment and who is paid on monthly basis as per rates fixed by the collector concerned and whose pay is charged to "office contingency" excluding the employees who are employed for certain period only in a year.

"Employees" means a contingency paid employee.

"Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within such cast race or tribe specified as scheduled castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution.

"Scheduled Tribe" Means any tribe or tribe community or part of or group within such tribe or tribal community specified as scheduled tribes (community specified as scheduled tribes) with respect to the state of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution.

[illegible]	(2) [illegible]	(3) [illegible]	(4) [illegible]	(5) [illegible]
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाटरमेन, स्वीपर, [illegible]	4339	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चौकीदार, वाटरमेन	2819	प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी
3	[illegible] चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी [illegible], चौकीदार	242	शिक्षा महाविद्यालय राज्य शिक्षा संस्थान विज्ञान शिक्षा संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, रिफारमेटरी स्कूल: शरीर विज्ञान एवं मार्गदर्शन महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी.	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ..	536	कार्यालय, संयुक्त संचालक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी	संभाग के संयुक्त संचालक, जिले का जिला शिक्षा अधिकारी.
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चौकीदार, [illegible], वाटरमेन, स्वीपर तथा कुक)	260	बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्राचार्य, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चौकीदार, [illegible], वाटरमेन, स्वीपर)	10	संचालनालय लोक शिक्षण कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	आयुक्त, लोक शिक्षण.
7	ड्राइवर	58	शिक्षा महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, संभागीय शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय	प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय संयुक्त संचालक, संभागीय, संभागीय शिक्षा अधीक्षक. जिला शिक्षा अधिकारी.
8	इलेक्ट्रीशियन	10	शिक्षा महाविद्यालय	प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय.
9	मैकेनिक	10	शिक्षा महाविद्यालय	प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय.
10	[illegible]	10	शिक्षा महाविद्यालय	प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय
11	[illegible]	22	शिक्षा महाविद्यालय, संचालनालय लोक शिक्षण	प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय, आयुक्त लोक शिक्षण.
12	[illegible]	1	संचालनालय लोक शिक्षण	आयुक्त, लोक शिक्षण
13	[illegible] (रसोईया) ..	200	शिक्षा महाविद्यालय, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान	प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय प्राचार्य, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान.
14	हेड कुक (रसोईया)	55	तदैव	तदैव
15	[illegible]	55	तदैव	तदैव
16	[illegible] हेल्पर (?)	55	शिक्षा महाविद्यालय, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान.	प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय, प्राचार्य बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान.
17	[illegible]	55	तदैव	तदैव

शास्तियां.—किसी भी कर्मचारी पर अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात्.—

1. परिनिंदा.

2. जुर्माना, जो एक समय में एक दिन की उपलब्धियों से अधिक नहीं होगा.

3. वेतन वृद्धियों या पदोन्नतियों का रोका जाना.

4. उपेक्षा से या किसी विधि के भंग द्वारा सरकार को पहुंचाई गई किसी आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की वेतन से वसूली

5. किसी एक समय में चौदह दिन से अनधिक कालावधि के लिये निलम्बन (किसी मजदूरी के लिये हकदार हुए बिना).

6. निम्नतर पद या श्रेणी (ग्रेड) में अवनत किया जाना.

7. सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिये अनर्हता न होगी.

8. सेवा से पदच्युत किया जाना जो भावी नियोजन के लिये अनर्हता होगी.

14. शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया.—(1) नियम, 13 के खण्ड (छः), (सात) तथा (आठ) में विनिर्दिष्ट की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश.—

1. कर्मचारी को उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के प्रस्ताव की तथा उन अभिकथनों की, जिनके कि आधार पर वह कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है, लिखित में सूचना जब ऐसा करना संभव हो, देने,

2. कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाये गये अभिकथनों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का यथासंभव शीघ्र अवसर देने.

3. ऐसे स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ही दिया जायगा अन्यथा नहीं परन्तु,—

(1) किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के बिना सेवा से पदच्युत नहीं किया जायगा.

(2) जहां विभागाध्यक्ष, राज्य की सुरक्षा के आधार पर किसी कर्मचारी को सेवा से हटाना आवश्यक समझे, वहां ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा.

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लिखित आदेश कर्मचारी को परिदत्त किये जाने पर तत्काल प्रभावी होगा और कर्मचारी द्वारा उसका परिदान स्वीकार करने से इंकार करने की दशा में वह आदेश उस स्थापना के जिसमें कि वह है, सूचनाफलक पर चिपका दिया जायगा और सूचनाफलक पर उसको इस प्रकार चिपका दिये जाने से यही समझा जायगा कि वह आदेश उस पर तामील कर दिया गया है.

15. अपील.—(1) कोई भी कर्मचारी नियम 13 के खण्ड (एक) तथा (दो) के अधीन अधिरोपित शास्ति को छोड़कर ऊपर दिये गये नियम 13 के अधीन उस पर अधिरोपित किसी भी शास्ति के विरुद्ध ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को शास्ति अधिरोपित करने से एक माह के भीतर अपील कर सकेगा. ऐसा अपीली प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अपील, अपीली प्राधिकारी को सीधे प्रस्तुत की जा सकेगी.

16. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

17. व्यावृत्ति.—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको ये नियम लागू होते हैं सरकार की ऐसी रीति में कार्यवाही करने की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो सीमित या कम करती है.

परंतु मामला किसी ऐसी रीति में नहीं निपटाया जायगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

11. सेवा मुक्ति संबंधी प्रमाण-पत्र.—उस मामले में जब कोई कर्मचारी छटनी के परिणामस्वरूप या अन्यथा सेवा छोड़ दे, तो उसे मांग की जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण-पत्र निम्नलिखित प्रारूप में दिया जा सकेगा :—

1. नाम ....

2. पिता का/पति का नाम ....

3. पहचान चिन्ह, यदि कोई हो ....

4. ....से .... तक कुल सेवा

5. सेवा छोड़ते समय धारित नियुक्ति ....

6. वेतनमान की दर (यदि कोई हो) ....

7. सेवा छोड़ने का कारण ....

....

कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान.

नियुक्ति प्राधिकारी की मुद्रा तथा पदाभिधान.

12. आचरण.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध, सेवा के सदस्यों को लागू होंगे :

परन्तु "कदाचरण" में कर्मचारी की ओर से किए गये निम्नलिखित कार्यकलाप भी सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) सरकारी कारोबार या सम्पत्ति के संबंध में चोरी, कपट या बेईमानी,

(ख) किसी वरिष्ठ के किसी विधि पूर्ण या युक्तियुक्त आदेश की जानबूझकर अवधीनता या अवज्ञा चाहे वह अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर की गई हो.

(ग) सरकारी माल या सम्पत्ति को जानबूझकर नुकसान या हानि पहुंचाना.

(घ) रिश्वत या अवैध परितोषण लेना या देना.

(ङ) बिना अवकाश के अभ्यासिक अनुपस्थिति या बिना अवकाश के दस दिन से अधिक की अनुपस्थिति.

(च) अभ्यासिक विलंब से अनुपस्थिति.

(छ) स्थापना या विभाग में कार्य-घण्टों के दौरान बलवात्मक या विश्रृंखल व्यवहार या ऐसा कोई कार्य जिससे अनुशासन भंग होता हो.

(ज) अभ्यासिक उपेक्षा या कार्य की उपेक्षा जिसके अन्तर्गत कार्य के घंटों के दौरान सोना आता है.

(झ) किसी कार्य की बार-बार पुनरावृत्ति या उसका लोप.

(ट) कार्य-पालन करने में जानबूझकर गति धीमी करना.

(ठ) स्थापना या विभाग की प्रक्रिया के संबंध में किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी प्रकट करना जो कि कर्मचारी को उस कार्य के अनुक्रम में प्राप्त हो.

(ड) स्थापना या विभाग के परिसरों में जुआ खेलना तथा सट्टेबाजी करना.

(ढ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के या ऐसे नियम के जो विधि का प्रभाव रखता हो उपबंधों का उल्लंघन करते हुए हड़ताल करना या अन्य व्यक्तियों को हड़ताल करने के लिये उद्दीप्त करना.

(ण) कार्य के घण्टों के दौरान मद्यपान करना या नशे की हालत में पाया जाना.

(त) राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करना.

[illegible]

करते हुए सभी प्रयोजनों के लिए एक इकाई होगी.

(2) (क) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर [illegible] निश्चित किया जाए, की जाएगी, अर्थात् :—

(1) सीधी भर्ती द्वारा.

(2) पदोन्नति द्वारा, और

(3) स्थानांतरण द्वारा.

(ख) प्रत्येक जिले में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी—अध्यक्ष

2. यथास्थिति जिला जनजाति कल्याण अधिकारी या जिला संयोजक, जनजाति कल्याण—सदस्य

3. संबंधित जिले का रोजगार अधिकारी—सदस्य

4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट विभाग का अधिकारी—सदस्य सचिव.

(ग) सेवा में अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति उपनियम 2(ख) के अधीन गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी.

(घ) इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों के सदस्यों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और अन्य विशिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी.

(ङ) सेवा के अधीन पदों की सीधी भर्ती संबंधित स्थापना द्वारा इस प्रयोजन के लिये मांग किये जाने पर रोजगार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई अभ्यर्थियों की सूची में से की जाएगी और जहां रोजगार कार्यालय में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहां भर्ती विज्ञापन द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के पश्चात् की जाएगी.

(च) पदों को भरने के लिये अर्हताएं ऐसी होंगी जो तत्स्थानी पदों पर राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारियों के लिये विहित हैं. जहां कोई तत्स्थानी पद न हों वहां अर्हताएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जाएगी.

(छ) जहां किसी विशिष्ट पद के लिये अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहां अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों की भर्ती इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए की जा सकेगी कि वे संबंधित स्थापना द्वारा इस संबंध में उपबंधित किए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए अवसर का लाभ उठाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर स्वयं को अर्हित कर लें.

(3) पदोन्नति, ज्येष्ठता तथा गुणागुण (सीनियोरिटी कम मेरिट) के आधार पर की जाएगी.

8. प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों की आयु, उनकी शारीरिक योग्यता तथा अधिवार्षिकी आयु.—भर्ती तथा अधिवार्षिकी के लिये आयु तथा शारीरिक योग्यता के विषय में सेवा में प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों को वही नियम तथा नीतियां लागू होंगे जो कि नियमित नियोजन में के समतुल्य प्रवर्गों के सरकारी सेवकों को लागू हैं.

9. ज्येष्ठता सूची.—पदोन्नति के साथ ही साथ छटनी के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक प्रवर्ग की ज्येष्ठता सूची प्रत्येक इकाई में या सम्पूर्ण राज्य के आधार पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाय, रखी जाएगी, जब कोई कर्मचारी सरकारी कार्य के हित में एक इकाई से अन्य इकाई स्थानांतरित किया जाए तो, यथा स्थिति पदोन्नति या छटनी के विषय में मूल इकाई में उसकी सेवा को निरंतरता को ध्यान में रखा जाएगा.

10. सेवा अभिलेख.—स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों के समुचित सेवा अभिलेख इकाई स्तर पर सम्यक् रूप से सत्यापित किए जाकर ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जिसमें कि सरकार के अराजपत्रित कर्मचारी वृन्द के सेवा अभिलेख रखे जाते हैं.

(ख) "आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी [illegible] के लिए निर्धारित किये जाते हैं, [illegible] निर्धारित हैं और जिसे संबंधित कलेक्टर द्वारा नियत की गई दरों के अनुसार मासिक [illegible] हैं तथा जिसका वेतन "कार्यालय आकस्मिक निधि" पर प्रभारित किया जाता है;

(ग) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी;

(घ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङ) अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है कोई ऐसा समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जो कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(च) "राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारियों" से अभिप्रेत हैं ऐसे सरकारी सेवक, जो नियमित नियोजन में राज्य सरकार के अधीन ऐसे स्थायी या अस्थायी पद धारण कर रहे हों जो आकस्मिकता निधि से भुगतान पाने वाली स्थापना या पदों से भिन्न हों,

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, मध्यप्रदेश (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 इस सेवा के सदस्यों को लागू होंगे.

4. "सेवा का गठन" सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1) वे व्यक्ति जो/जिन्होंने 1 जनवरी 1974 को,—

(क) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे थे और जो उस रूप में कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद धारण कर रहे हों; और

(ग) वह अधिवार्षिकी आयु प्राप्त न कर ली हो जो कि राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारियों के लिए विहित है.

(2) वे व्यक्ति जो,—

(क) 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हैं;

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये है;

सेवा में पांच वर्ष पूर्ण कर लेने पर.

5. वर्गीकरण, पदों की संख्या आदि.—सेवा का वर्गीकरण तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे.

6. प्रवर्गीकरण.—(1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रवर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) स्थायी; और

(2) अस्थायी

(2) वह कर्मचारी,—

(क) जिसने 1 जनवरी, 1974 को कम से कम दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी;

(ख) जिसे उक्त तारीख के पूर्व नियुक्त किया गया था किन्तु जिसने 1 जनवरी, 1974 को दस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की थी;

(ग) जो उक्त तारीख के पश्चात् नियुक्त किया गया था.

ऊपर (क) की दशा में 1 जनवरी, 1974 को और (ख) तथा (ग) की दशा में दस वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर लेने पर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले स्थायी कर्मचारी की प्रास्थिति के लिए पात्र होगा.